परिपत्र संख्या 6/2011

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/11/9601 दिनांकः 19.4.11

परिपत्र

विषयः कार्यालय के बाहर किसी व्यक्ति के निवास स्थान पर दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार करने के संबंध में।

1.0 पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं राजस्थान पंजीयन नियम–1955 खण्ड–प्रथम में विशेष कारणों के आधार पर पंजीयन हेतु दस्तावेज का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुतकर्ता के निवास स्थान पर जाकर स्वीकार करने का प्रावधान है।

यह प्रावधान पंजीयन अधिनियम की धारा–31 के मूल प्रावधान में अपवाद स्वरूप रखा है और इसे ध्यान में रखकर ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में विधिक स्थिति निम्नानुसार है :–

कमीशन से संबंधित विधिक प्रावधान :–

- पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–31 के तहत आवेदक द्वारा विशेष कारण बताये जाने पर उप पंजीयक दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता के निवास स्थान पर उपस्थित होकर दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार कर सकेगा।
- पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–38 के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होने से छूट है :–

(क) व्यक्ति, जो अंग शैथिल्य के कारण जोखिम या घोर असुविधा के बिना रजिस्ट्रेशन कार्यालय में उपसंजात होने के अयोग्य है, अथवा

(ख) वह व्यक्ति, जो सिविल या दाण्डिक आदेशिका के अधीन जेल में है, अथवा

(ग) वह व्यक्ति, जो न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से विधि द्वारा छूट प्राप्त है और जो एतस्मिन पश्चात् अन्तर्विष्ट निकटतम आगामी उपबंध के अभाव में रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं उपसंजात होने के लिए अपेक्षित न किये जावेगें।

हर ऐसे व्यक्ति, की दशा में रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर या तो ऐसे व्यक्ति के गृह या उस जेल में, जिसमें वह परिरूद्ध है, स्वयं जायेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसकी परीक्षा के लिए कमीशन जारी करेगा।

- राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 खण्ड–प्रथम के नियम–119 *(1) के अनुसार यदि धारा–38 के अधीन परिक्षित किया जाने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के जिले या उपजिले का निवासी न हो तो कमीशन उस जिले के जिला रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जा सकेगा,* जिसमें ऐसा व्यक्ति निवास करता है जो उपरजिस्ट्रार को पुनः निर्दिष्ट कर सकेगा, जो यदि स्वयं हाजिर नहीं हो सके तो किसी अन्य व्यक्ति को पुनः निर्दिष्ट कर सकेगा। यात्रा भत्ता उस रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को अंतरित कर दिया जावेगा, जिसे कमीशन संबोधित किया गया है।

नियम–119 (2) कोई भी उप रजिस्ट्रार विजिट के किसी भी प्रयोजन के लिए, अपने उपजिले के बाहर स्थित किसी निवास स्थान

पर जिला रजिस्ट्रार की अनुज्ञा के बिना, नहीं जायेगा और यह अनुज्ञा तब तक नहीं दी जानी चाहिये, जब कि कि जिला रजिस्ट्रार का समाधान नहीं हो गया हो कि सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति की उसके स्वयं के कार्यालय पर या उप रजिस्ट्रार के कार्यालय पर हाजिरी से कोई असाधारण असुविधा नहीं होगी।

- राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 खण्ड–प्रथम के नियम–53 के अनुसार पुस्तक संख्या VII धारा–31, 33 और 38 के अधीन की विजिटों तथा कमीशनों का रजिस्टर है। इसमें प्रारूप संख्या 7, परिशिष्ट 1, में विहित शीर्ष अन्तर्विष्ट होगें। ''यात्रा की दूरी'' के स्तंभ में कार्यालय से विजिट किये गये स्थान तक की दूरी दर्शित की जानी है।

2.0 विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय उप पंजीयकों द्वारा कमीशन आधार पर दस्तावेजों को बिना उचित कारणों के; बिना उचित प्रार्थना–पत्र लिये व उस पर विधिपूर्वक निर्णय लिये और बिना संबंधित पंजिका में इन्द्राज किये अपने कार्यालयों के बाहर जाकर पंजीयन हेतु स्वीकार कर पंजीयन किया जा रहा है। बाहर जाकर दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार करने के लिए राजस्थान पंजीयन नियम–1955 के नियम–119 के अन्तर्गत जिला पंजीयक की स्वीकृति नहीं ली जाती है जो लेना भी आवश्यक है।

3.0 कहीं भी पंजीयन प्रक्रिया के तहत जिले में स्थित सम्पत्ति के दस्तावेज का पंजीयन जिले के किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में करवाया जा सकता है, किन्तु प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने क्षेत्राधिकार (पंजीयन उपजिला) के बाहर जाकर दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार करने के लिए उपरोक्त विधिक प्रावधानों की पालना आवश्यक है।

4.0 अतः निर्देशित किया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में निवास स्थान पर दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार करने के लिए उपरोक्त विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

(i) संबंधित व्यक्तियों से प्रार्थना–पत्र लिया जावे, जिसमें उल्लेख हो कि वह किन विशेष कारणों के कारण उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता तथा उन्हें सिद्ध करने योग्य दस्तावेज संलग्न हों।

(ii) प्रार्थना–पत्र पर उप पंजीयक द्वारा यह निर्णय अंकित किया जावे कि वह किन कारणों के आधार पर अपने कार्यालय से बाहर जाकर दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार कर रहा है।

(iii) कार्यालय से बाहर जाने के लिए नियम–53 में उल्लेखित पुस्तिका संख्या–7 परिशिष्ठ–1 में उचित प्रकार से इन्द्राजात किये जावें।

(iv) यदि जिस स्थान पर दस्तावेज स्वीकार करने हेतु जाना है जो कि दिनांक 9.3.07 को वित्त विभाग द्वारा एनीवेहर पंजीयन योजना के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.12(28)वित्त/कर/2007–155 व प.12(28)वित्त/कर/2007–156 से पूर्व किसी अन्य उप पंजीयक के अधिकार क्षेत्र में था, तो संबंधित नियम–119 (2) के अनुसार जिला पंजीयक से पूर्वानुमति ली जावे। नियम में प्रावधान है कि इस प्रकार की अनुमति अपवाद स्वरूप ही दी जानी चाहिए।

5.0 प्रावधानों की अवहेलना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसके अन्तर्गत :–

अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) अपने वृत में उपरोक्त विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करावें।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, 19/5/11
राजस्थान,अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/11/*9602–10050* दिनांकः *19.4.11*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

महानिरीक्षक, 19/4/11
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर